

क्रमांक: एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/ 9212

जयपुर, दिनांक: 5/12/14

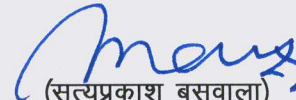
आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 में संशोधन करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति गंगानगर, सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के उक्त जिले में स्थित उक्त सारणी के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है।

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गंगानगर	गंगानगर	उप पंजीयक, गंगानगर
		सूरतगढ़	उप पंजीयक, सूरतगढ़
		अनूपगढ़	उप पंजीयक, अनूपगढ़

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

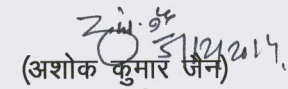

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/ 9213-19

जयपुर, दिनांक: 5/12/14

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर) (पंचायत) श्रीगंगानगर।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी गंगानगर।
6. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी गंगानगर।
7. कम्प्यूटर शाखा को जिला निर्वाचन अधिकारी गंगानगर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर